न्यायालयः— नितिन कुमार मुजाल्दा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक. 1137/2024 ग्वालियर दिनांक 28/11/2024

//विविध–आदेश//

प्रशासनिक कार्य व सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक 752/2024 ग्वालियर दिनांक 23.07.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैं, अर्थात् निम्नांकित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्राधिकार निम्नानुसार रहेगाः—

1. दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—41, जो श्री आशीष केशरवानी जे.एम.एफ.सी.डबरा से संबंधित है, के कॉलम नंबर—3 में उल्लेखित **आरक्षी केन्द्र डबरा (सिटी)** विलोपित किया जाकर दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—42, जो श्री यश कुमार सिंह जे.एम.एफ.सी. डबरा से संबंधित है, के कॉलम नं0—3 में **आरक्षी केन्द्र डबरा (देहात)** के स्थान पर **आरक्षी केन्द्र डबरा (सिटी)** जोडा जावे।

2. दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—42, जो श्री यश कुमार सिंह, जे.एम.एफ.सी.डबरा से संबंधित है, के कॉलम नंबर—3 में उल्लेखित **आरक्षी केन्द्र डबरा (देहात)** को विलोपित किया जाकर दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—41, जो श्री आशीष कुमार केशरवानी, जे.एम.एफ.सी. डबरा से संबंधित है, के कॉलम नं0—3 में **आरक्षी केन्द्र डबरा (सिटी)** के स्थान पर **आरक्षी केन्द्र डबरा (देहात)** जोडा जावे।

3. दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—8, जो श्री राकेश कुमार मरावी, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर से संबंधित है, के कॉलम नंबर—3 में उल्लेखित **आरक्षी केन्द्र बिजौली, हस्तिनापुर** को विलोपित किया जाता है।

4. दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—31, जो श्री निशांत बसोया, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर से संबंधित है, के कॉलम नंबर—3 में उल्लेखित **आरक्षी केन्द्र बिजौली** जोडा जाता है।

5. दाण्डिक कार्य विभाजन पत्रक की कंडिका क0—32, जो सुश्री अर्पिता त्रिपाठी, जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर से संबंधित है, के कॉलम नंबर—3 में उल्लेखित **आरक्षी केन्द्र हस्तिनापुर** जोडा जाता है।

6. महिला संबंधी अपराधों से संबंधित मामलों में प्रस्तुत होने वाले समस्त अपंजीकृत परिवाद (मजिस्ट्रेट न्यायालय/सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में)/धारा 175 (3) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत होने वाले परिवाद/आवेदनों का निराकरण महिला संबंधी विशेष न्यायालय द्वारा ही किया जावेगा।

उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

दिनांक— 28 / 11 / 2024

(नितिन कुमार मुजाल्दा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर

अनुमोदित

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ग्वालियर

पृष्ठांकन क्रमांक— 1207 / 2024 ग्वालियर दिनांक 30 / 11 / 2024

1— माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

2— समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर / डबरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3— अध्यक्ष अभिभाषक संघ, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

4— पंजीयन लिपिक, पूछताछ केन्द्र जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों द्वारा पूछे जाने पर प्रकरण अंतरण की जानकारी तुरंत उपलब्ध करावें।

5— सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर अनुविभाग, जिला न्यायालय ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विविध आदेश समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर / डबरा के ई.मेल पर अपलोड किया जावे।

(नितिन कुमार मुजाल्दा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ग्वालियर